चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 09.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 09.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 09.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री विनोद कुमार शुक्ला सिंह एवं पैरोकार आरक्षी सुजीत यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 114/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त सुनील सोनकर पुत्र रानू सोनकर निवासी इन्द्रानगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी आरिफ खान तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री श्रीप्रकाश यादव व टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 82/2022 धारा 341,354,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.छोटेलाल पुत्र महबूब 2.मुखलेश पुत्र चुनकौना निवासीगण मऊब थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 07.07.2022 को थाना भरतकूप में एक वादिया द्वारा सूचना दी थी कि छोटेलाल व मुखलेश उपरोक्त द्वारा मेरी पुत्री को रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की है तथा जान से मारने की धमकी दी है। इस सूचना थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 82/2022 धारा 341,354,506 भादवि0 बनाम छोटेलाल व मुखलेश उपरोक्त पंजीकृत किया गया। तत्कालीन उ0नि0 श्री कृपानन्दन शर्मा द्वारा विवेचना की गयी तथा दिनाँक 22.07.2022 को आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(6). आज दिनांक 09.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन चित्रकूट श्री दिनेश त्रिपाठी की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्षों के साथ गोष्ठी आयोजित की गयी।

इस गोष्ठी में महोदय द्वारा हिस्ट्रीशीटर खोलने. बंद करने के संबंध में विस्तृत रूप से आदेश निर्देश दिए गए तथा लंबित विवेचनाओं के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा गया की जो भी पिछले वर्ष की लंबित विवेचना है। उनको तत्काल निस्तारित किया जाए यदि किसी विवेचना के निस्तारण में कोई समस्या आती है तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से वार्ता करें तत्पश्चात महोदय द्वारा जनपद में हो रही चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण हेतु निर्देशित देते हुए कहा गया कि चोरी की घटनाओं का अनावरण में एस0ओ0जी0 व सर्विलांस सेल की मदद से तत्काल खुलासा करें। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सभी प्रभारियों को बताया गया कि किसी भी सरकारी विभाग द्वारा आम जनता के जमीन पर अनावश्यक रूप से कब्जा न किया जाए इस पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाए।

गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल, क्षेत्राधिकार मऊ श्री जय करन सिंह, प्रभारी प्रधान लिपिक श्री अनिल मोहन शुक्ला तथा जनपद के समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक,थानाध्यक्ष एवं थानों के दीवान मुंशी उपस्थित रहे ।